संख्या–260/XXIV-3/2008/02(135)/2007 T.C.

प्रेषक,

पी0एल0शाह,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड
देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून:दिनांक 22 फरवरी,2008

विषयः– वित्तीय वर्ष 2007–08 में राजकीय इण्टर कालेज, इमलीखेडा, जनपद हरिद्वार के विद्यालय भवन निर्माण कार्य हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक/5 ख 1/59206/जी0शी0/2007–08, दिनांक 06 फरवरी,2008 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय राजकीय इण्टर कालेज, इमलीखेडा, हरिद्वार के विद्यालय भवन निर्माण कार्य हेतु उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, इकाई–1 हरिद्वार द्वारा गठित आगणन के परीक्षणोपरान्त टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित लागत रू0 142.25 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए अनुमोदित लागत के सापेक्ष रू0 49.78 लाख (रू0 उन्चास लाख, अट्ठत्तर हजार मात्र) की धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 में शासनादेश संख्या–1010/XXIV-3/07/02(20)/2007, दिनांक 03 अगस्त,2007 एवं शासनादेश संख्याः 1974/XXIV-3/ 07/02(20)/2007, दिनॉक 26.12.2007 द्वारा प्रश्नगत योजना में आपके निवर्तन पर रखी गयी धनराशि रू0 1900.00 लाख में से नियमानुसार व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:–

1– कार्य कराने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गयी हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

3– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितनी राशि स्वीकृत की गयी है।

4– एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व, विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।

5– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

6– कार्य कराने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता से कार्य स्थल का भली भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात् दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।

7– निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण किसी प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा उपयुक्त सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

8– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219(2006), दिनांक 30 मई,2006 द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

9– निर्माण की गुणवत्ता के लिए संबंधित निर्माण ऐजेन्सी उत्तरदायी होगी।

भवदीय

10– कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाय। विलम्ब के कारण आगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा।

2– उपर्युक्त धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय और जहां आवश्यक हो, व्यय करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर यथा समय शासन तथा महालेखाकार को उपलब्ध करा दिया जाय। स्वीकृति की प्रत्याशा में अनानुमोदित व्यय कदापि न किया जाय।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखाशीर्षक–4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय–01–सामान्य शिक्षा–202–माध्यमिक शिक्षा–आयोजनागत–00–11–राजकीय हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट कालेजों के भवनहीन/जीर्ण–शीर्ण भवनों का निर्माण–24–बृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–1046(P)/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–3/2007 दिनांक 22 फरवरी,2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(पी0एल0शाह)
उप सचिव

संख्या–260(1)/XXIV-3/2008/02(135)/2007 T.C., तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार।
3– निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार।
4– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6– अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7– जिलाधिकारी, हरिद्वार।
8– कोषाधिकारी, हरिद्वार।
9– जिला शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार।
10–वित्त अनुभाग–3/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड सचिवालय।
11–बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय।
12–सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी।
13–कम्प्यूटर सेल (वित्त विभाग), उत्तराखण्ड सचिवालय।
14–एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
15–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पी0एल0शाह)
उप सचिव